आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–02 / 2023.....दिनांक–

CGM
03 AUG 2023

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग
## सकारण आदेश

## शुद्धि पत्र

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–6103 दिनांक–27.07.2023 द्वारा संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, PO-M.I.T, Dist-Muzaffarpur (Bihar) के विरूद्ध EMD की राशि, टेंडर फी एवं प्रोसेसिंग फी में गलत सूचना देने एवं साथ ही पत्रांक–1784(अनु०) दिनांक–26.07.2023 से संवेदक, अमित कुमार सिंह के द्वारा श्री रवि चन्द, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फपुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली–गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं जान से मारने की धमकी देने में दोषी मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के आलोक में दस वर्षों के लिए निलंबित / कालीकृत किया गया था । उक्त सकारण आदेश में दस वर्षों के लिए निलंबित / कालीकृत के स्थान पर दस वर्षो के लिए निलंबित पढ़ा जाय ।

ह0 / –
**(राकेश कुमार)**
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–02 / 2023 पटना,दिनांक–

**स्पीडपोस्ट**

प्रतिलिपिः-Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, PO-M.I.T, Dist-Muzaffarpur (Bihar) निबंधन सं०-Class-II-2210110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CM(N/S)
P.IMN
4.8.23

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–02 / 2023....6152 (M) पटना,दिनांक–28/7/23

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० 2979 03/8/23 पटना

मुख्य महाप्रबंधक कोषांग बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पत्र संख्या 2225 दिनांक 04/08/23

प्रबंध निदेशक कोषांग बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पत्र संख्या 2224 दिनांक 03/08/23

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–21 / 2020.....दिनांक–

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

# आदेश

संवेदक, TiTu Badwal, At-Professor Colony, MilanPalli,Ward No-02, P.O+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar-855108 द्वारा गर्दनीबाग क्षेत्रके पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का चहारदीवारी के निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1891 दिनांक–25.08.2020 के द्वारा संवेदक को काली सूची में डालने की अनुशंसा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को की गयी । तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक में इस पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को तीन वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-5076 of 2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.07.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:–

"The impugned order of suspension dated 24.08.2021 stands set aside in the light of Hon'ble Apex Court decision in the case of Isolators and Isolators Vr. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. Ld. & Anr. [2023 SCC OnLine SC 444] (Paragraph 13 and 14) and UMC Technologies Private Limited Vs. Food Corporation of India & Anr. [(2021) 2 Supreme Court Cases 551] (Paragraph 20). **The matter is remanded to the concerned / competent authority to issue specific notice of suspending the registration of the petitioner. The petitioner is permitted to file his detailed explanation or objection. Thereafter, the competent authority is hereby directed to pass a detailed speaking order and communicate the same to the petitioner. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order."**

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–4778 दिनांक–24.08.2021 को रद्द किया जाता है ।

ह0 / –
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–21 / 2020 पटना,दिनांक–

**स्पीडपोस्ट** प्रतिलिपि:–संवेदक, TiTu Badwal, At-Professor Colony, MilanPalli,Ward No-02, P.O+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar-855108 का निबंधन संख्या–BCD-Class-I-1190033 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–21 / 2020..... 6203 (म) पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.7.20

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव